प्रेस नोट दिनाँक-15.06.2022

(1). दिनाँक-14.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). आज दिनांक 15.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे है ऑपरेशन क्लीन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या तथा उनके हमराही द्वारा जिलाबदर अभियुक्त डीजे उर्फ अमतेश उर्फ छोटा पुत्र छेदी धोबी निवासी यमुना रोड कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा जिलाधिकारी महोदय के जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 127/22 धारा 10 यूपी0 गुण्डा एक्ट तथा अवधै तमंचा कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 126/22 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों को विवरणः-

जिलाबदर अभियुक्त डीजे उर्फ अमतेश उर्फ छोटा पुत्र छेदी धोबी निवासी यमुना रोड कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 201/19 धारा 342/376डी/395/412 भादिव व 66 आईटी एक्ट
2. मु0सि0नं0 08/21 धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट
3. मु0अ0सं0 127/22 धारा 10 यूपी0 गुण्डा एक्ट
4. मु0अ0सं0 126/22 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या थाना मऊ
2. आरक्षी भानुप्रताप

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे है ऑपरेशन पाताल के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुआ श्री प्रवीण सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र राम कुशवाहा निवासी मुनगुस थाना तिंदवारी जनपद बांदा को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुआ में मु0अ0सं0 01/22 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष सरधुआ श्री प्रवीण सिंह
2. आरक्षी वेद प्रकाश
3. आरक्षी बब्बू राजापुर

(5). आज दिनांक 15.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सहोद्रा पत्नी सुरेन्द्र कुशवाहा निवासी सिकरीसानी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति श्री सुरेन्द्र कुशवाहा उसके साथ गाली-गलौज करते हैं तथा मारते पीटते है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र निरीक्षक श्रीमती सविता श्रीवास्तव एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्रीमती सहोद्रा की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, पति श्री सुरेन्द्र कुशवाहा से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति श्री सुरेन्द्र कुशवाहा द्वारा भविष्य में श्रीमती सोहद्रा से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। इस प्रकार आज दिनाँक 15.06.2022 को दोनों पक्षों में आपसी सुलह होने पर परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

(6). दिनाँक 15.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में जनपद के समस्त थानों के विवेचकों को पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उ0प्र0 द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव के माध्यम से ऑनलाइन रिफ्रेशर विवेचना ट्रैनिंग दी गई। ट्रैनिंग कार्यशाला में विवेचकों को आधुनिक तरीके से साक्ष्य संकलन के तरीके बताये गये तथा विवेचना निस्तारण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने हेतु बताया गया।

(7). आज दिनाँक 15.06.2022 को माननीय बांदा-चित्रकूट सांसद श्री आरके सिंह पटेल एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा फीता काटकर नवीन थाना सरधुआ का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित समस्त

अधिकारी/कर्मचारीगण एवं जनता के लोगों को अल्पाहार करवाकर मुंह मीठा कराया गया। इस नवीन थाना में थाना पहाड़ी के 18 एवं थाना राजापुर के 24 गांव कुल 42 गांव आते हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एसपी सोनकर, प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी, थानाध्यक्ष सरधुआ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). आज दिनांक-15.06.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रांत कुमार शुक्ल, जिला जज श्री विष्णु कुमार शर्मा श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार, जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सचिव श्रीमती विदुषी मेहा द्वारा जिलाकारागार व राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा बन्दी बैरिक, भोजनालय एवं चिकित्सालय आदि का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

(9). आज दिनांक 15.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी के 02 जोडों में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती माया पत्नी कामता उर्फ़ रेनू निवासी चितरवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता पत्नी रामकिशोर निवासी बस स्टैंड तीर्थराजपुरी सीतापुर जनपद चित्रकूट द्वारा महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि इनके पतियों द्वारा साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की जाती है। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह एवं टीम द्वारा श्रीमती माया एवं श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पतियों से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों के पतियों द्वारा भविष्य में अपनी पत्नियों से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। इस प्रकार आज दिनाँक 15.06.2022 को दोनों जोडों में आपसी सुलह होने पर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना द्वारा दोनो जोडों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।